



राजस्थान में पैनल गठित

चर्चा में क्यों?

के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पछिली सरकार के तहत कथित [भ्रष्टाचार की जाँच का](#) वादा किया है।

मुख्य बदि:

- राजस्थान में पछिले प्रशासन के **नरिणयों और योजनाओं की समीक्षा** करने तथा उन्हें जारी रखा जाना चाहिये या नहीं, इसकी सफिराशि करने हेतु एक कैबिनेट उप-समति का गठन किया गया है।
 - महिलाओं के लिये मुफ्त मोबाइल फोन, राशन कटि का वतिरण और नए ज़िलों का गठन समीक्षा किये जाने वाले मामलों में से हैं।
- सरकार ने पछिली सरकार के दौरान **प्रश्नपत्र लीक मामले की भी जाँच के आदेश** दिये हैं।

भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिये कानूनी और नयामक ढाँचे

■ कानूनी ढाँचा:

- **भ्रष्टाचार नविरण अधनियम (Prevention of Corruption Act), 1988** में लोक सेवकों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार के साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल लोगों के लिये दंड का प्रावधान है।
 - **वर्ष 2018** में इस अधनियम में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत रशिवत लेने और रशिवत देने को अपराध की श्रेणी के तहत रखा गया।
- **धन शोधन नविरण अधनियम (Prevention of Money Laundering Act), 2002** का उद्देश्य भारत में धन शोधन (Money Laundering) के मामलों को रोकना और आपराधिक आय के उपयोग पर प्रतर्बिध लगाता है।
- **कंपनी अधनियम (The Companies Act), 2013** कॉर्पोरेट कषेत्र को स्वनयिमन का अवसर देकर इस कषेत्र में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की रोकथाम करता है। 'धोखाधड़ी' शब्द की एक व्यापक परिभाषा है, इसे कंपनी अधनियम के अंतर्गत दंडनीय (Criminal) अपराध माना गया है।
- **भारतीय दंड संहति (The Indian Penal Code- IPC), 1860** के अंतर्गत रशिवत, धोखाधड़ी, वशिवासघात जैसे अपराध से संबंधित मामलों को कवर किया गया है।
- **बेनामी लेन-देन (नषिध) अधनियम, 1988** उस व्यक्ति के दावे प्रतर्बिधति करता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर संपत्ति अर्जति की है।

■ नयामक ढाँचा:

- **लोकपाल तथा लोकायुक्त अधनियम, 2013** ने संघ (केंद्र) के लिये लोकपाल और राज्यों के लिये लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की है।
 - ये "लोकपाल तथा लोकायुक्त" कुछ नशिचति श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के वरिद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करते हैं।
- **केंद्रीय सतर्कता आयोग:** इसका कार्य प्रशासन की नगिरानी करना और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में कार्यपालिका को सलाह देना एवं मार्गदर्शन करना है।
- **आपराधिक कानून (संशोधन) अधनियम, 1952:** IPC की धारा 165 के तहत नरिदषिट सज़ा को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया।
- **वर्ष 1964 में संशोधन:** IPC के तहत 'लोक सेवक' तथा 'आपराधिक कदाचार' की परिभाषा का वसितार किया गया और एक लोक सेवक के लिये आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने को अपराध बना दिया गया।

